संख्या- 87/2015/1445/41-2014-09 यो0/11

प्रेषक,

श्याम मोहन तिवारी
अनुसचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक
पर्यटन
उ0प्र0 लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ दिनांक 31 मार्च, 2015

विषय- केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत जनपद मथुरा में मथुरा-वृन्दावन मेगा डेस्टिनेशन डेवलपमेन्ट स्कीम के अन्तर्गत विभिन्न घाटों के जीणोद्धार की योजना हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र सं0-401/6-1-1(397) यो0/2014, दि0 19-06-2014 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- वित्तीय वर्ष 2012-13 में केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत मेगा टूरिस्ट सर्किट मथुरा-वृन्दावन के विकास की योजना के लिये परीक्षणोपरान्त आंकलित लागत रू0-3320.77 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये योजनान्तर्गत भारत सरकार से अवमुक्त की गयी धनराशि रू0-1589.33 लाख की स्वीकृति शासनादेश सं0 1983/41-2012-09 यो0/11, दिनांक 21.09.2012 द्वारा निर्गत की गयी है।

3- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत जनपद मथुरा में मथुरा-वृन्दावन मेगा डेस्टिनेशन डेवलपमेन्ट स्कीम के अन्तर्गत विभिन्न घाटों के जीणोद्धार की योजना हेतु कार्यदायी संस्था उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 द्वारा गठित आगणन के परीक्षणोपरान्त व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित धनराशि रू0 2380.52 लाख की प्रशासकीय एवं केन्द्रांश की प्रत्यासा में रू0 1000.00 लाख (रूपये दस करोड मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं -

1. भारत सरकार ने स्वीकृति पत्र सं0- 5 पीएनसी (19)/2011, दिनांक 01-12-2011 के द्वारा उक्त योजना अनुमोदित की है। उक्त स्वीकृत पत्र में उल्लिखित भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्यमदों पर स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय नियमानुसार किया जायेगा।
2. केन्द्र पोषित मथुरा मेगा प्रोजेक्ट के अन्तर्गत घाटों के निर्माण/सुधार से सम्बन्धित मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दि0 27.09.2014 को सम्पन्न हुई बैठक में लिये गये निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा टेण्डर के सम्बन्ध में दिये गये निर्देश के अनुसार ही कार्य सम्पनन कराया जायेगा। कार्यवृत्त

http://shasanadesh.up.nic.in

की प्रति शासन के आदेश दिनांक 16.10.2014 द्वारा सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध करा दी गयी है।

3. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

4. प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जायेगा।

5. प्रायोजना में प्रस्तावित कार्यों के अनुश्रवण एवं गुणवत्ता नियन्त्रण का कार्य थर्ड पार्टी से कराया जाना सुनिश्चत किया जायेगा ताकि कार्यों की गुणवत्ता बनी रहे और प्रायोजना में टाइम एवं कास्ट ओवर रन की स्थिति उत्पन्न न हो।

6. स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा एवं उक्त कार्यों को अनुमोदित लागत के सीमान्तर्गत ही किया जायेगा।

7. कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति की सूचना व उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

8. यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे तत्काल शासन को समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

9. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पडे।

10. परियोजना के अन्तर्गत सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों के रख-रखाव/अनुश्रवण हेतु उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

11. योजना का अनुश्रवण शासन द्वारा गठित राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति द्वारा नियमित रूप से सुनिश्चित किया जायेगा एवं मासिक वित्तीय तथा भौतिक प्रगति राज्य सरकार एवं त्रैमासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति भारत सरकार को उपलब्ध करायी जायेगी।

12. योजनान्तर्गत भारत सरकार की सहायता सम्मिलित है। इस लिये योजना हेतू प्रस्तावित धनराशि में केन्द्रांश की स्थिति व राज्यांश सुनिश्चत करते हुये किया जायेगा।

13. योजना में यदि कोई वित्तीय अनियमितता होगी तो उसके लिये कार्यदायी संस्था जिम्मेदारी होगी।

14. यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना का कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से आच्छादित है।

15. स्वीकृत की जा रही परियोजना हेतु नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक आपत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-44 के लेखा शीर्षक-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित-योजनायें-0106-डेस्टिनेशन/सर्किट डेवलपमेन्ट मथुरा का पर्यटन विकास-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक-22.07.2014 तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(श्याम मोहन तिवारी)
अनुसचिव।

संख्या-87/2015/1445(1)/41-2015 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- सचिव, पर्यटन मन्त्रालय, भारत सरकार, नई-दिल्ली।
3- निजी सचिव, मा0 पर्यटन मंत्री, उ0प्र0, लखनऊ।
4- जिलाधिकारी, मथुरा।
5- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग-7
8- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
9- श्री राजा राम वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे वेब-साइट पर अंकित करना सुनिश्चित करें।
10- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(श्याम मोहन तिवारी)
अनुसचिव।

http://shrsanadesh.up.nic.in